राजकीय अन्न भण्डागार, [illegible] जिला-जो [illegible] लेखों का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 4/98 से 3/99

भाग-एक

1. गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनः- गत लेखा प्रतिवेदन में समाविष्ट लेखा आपत्तियों की अनुपालन स्थिति निम्न प्रकार से है। पूर्व लेखा प्रतिवेदनों में उल्लेख कतिपय आपत्तियाँ अनिस्तारित हैं। अतः इन्हें न निस्तारित होने से सम्बन्धित प्रस्तुत उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है:-

(क) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 10/50 से 6/57:-

1. पैरा सं0 4 शेष
2. पैरा सं0 6(1) शेष
3. भाग 115-32 रु0 का प्रस्तु[illegible] नहीं किया गया

(ख) लेखा अवधि 7/57 से 5/60:-

1. पैरा 4(1) शेष

(ग) लेखा अवधि 7/60 से 9/61:-

पैरा तिथी 15 रुपये की अधिक अदायगी की भी शेष रहा।

(घ) लेखा अवधि 10/61 से 6/62 तक:-

1. पैरा 4(2) शेष
2. पैरा 5(2) शेष
3. पैरा 5(4) शेष
4. पैरा 3(6) शेष
5. पैरा 6 शेष

(ङ) लेखा अवधि 7/62 से 3/63 तक:-

1. पैरा 4(1) शेष
2. पैरा 4(2) शेष
3. पैरा 3(क) शेष

...2...

(ग) ऑडिट अवधि 4/63 से 3/64:-

1. पैरा 4 शेष
2. पैरा 5 शेष
3. पैरा 6 शेष

(घ) ऑडिट अवधि 4/64 से 3/72:-

1. पैरा 4(क) शेष
2. पैरा 5 शेष
3. पैरा 6(ख)व(ग) शेष
4. पैरा 7 शेष
5. पैरा 8 शेष

(ङ) ऑडिट अवधि 4/72 से 6/80:-

1. पैरा 4(क) शेष
2. पैरा 5 शेष
3. पैरा 6(ख) व (ग) शेष
4. पैरा 7 शेष
5. पैरा 8 शेष

(च) ऑडिट अवधि 6/80 से 3/84:-

1. पैरा 4(ख) शेष
2. पैरा 6(ख) शेष

(छ) ऑडिट अवधि 4/84 से 3/86:-

1. पैरा 4(क) 7 शेष
2. पैरा 9(क) शेष

....3....

(स) ऑडिट अवधि 4/86 से 3/88:-

| | |
|---|---|
| पैरा 5 | शेष |

(द) ऑडिट प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/90:-

| | |
|---|---|
| 1. पैरा 5 | शेष |
| 2. पैरा 8(2)(अ) | शेष |

(य) ऑडिट प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/94:-

| | |
|---|---|
| 1. पैरा 3 | समाप्त |
| 2. पैरा 4 | अनिर्णीत |
| 3. पैरा 5 (ब) | समाप्त |
| 4. पैरा 6 | अनिर्णीत |
| 5. पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 6. पैरा 8(क) | समाप्त |
| 7. पैरा 8(ख) | समाप्त |
| 8. पैरा 8(ग) | समाप्त |
| 9. पैरा 8(घ) | समाप्त |

भाग-2

2. वर्तमान लेखा परीक्षा प्रतिवेदन:- अवधि 4/94 से 3/98 के लेखाओं के वर्तमान लेखा परीक्षा, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं, (सुरेश गुप्ता) सहायक लेखा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.6.98 से 17.6.98 तक के दौरान किया गया। माह 6/94, 5/95, 4/96, 3/97, 10/97 व 3/98 की विस्तृत जाँच की गई अनुवर्ती पैरों में दिए गए आक्षेप के अतिरिक्त अन्य आक्षेप लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया गया।

3. लेखा परीक्षा शुल्क:- पाठशाला के लेखाओं की अवधि 4/94 से 3/98 तक की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षा शुल्क रु 170-00 आँका जाता है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है उपरोक्त रु की राशि चैक/बैंक ड्राफ्ट क्र. 88745 दिनांक 17.6.98 भारतीय स्टेट

के आदेश परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, जि० पु० विभाग-2 को पेश की गई थी।

| निधि का नाम | राशि |
|---|---|
| शिक्षा निधि | 45=00 |
| भवन निधि | 5=00 |
| स्वास्थ्य निधि | 30=00 |
| विज्ञान निधि | 30=00 |
| पेयजल निधि | 30=00 |
| अनुपस्थिति जुर्माना निधि | 30=00 |
| योग= | 170=00 रुपये |

4. (क) विभिन्न कक्षाओं के रजिस्टरों व कैश रजिस्टर की जाँच करने पर पाया कि छात्रों से एकत्रित कुल राशि से कम राशि का अंकन करके विभिन्न निधियों के खातों तथा सरकारी खाते में कम राशि जमा हुई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अतः रु 25=10 रुपये की वसूली करके राशि को विभिन्न निधियों/सरकारी कोष में जमा करवाया जावे व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

| कक्षा | माह | फण्ड का नाम | राशि जो वसूली थी | जमा राशि | कम जमा राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 9(बी) | 3/93 | विज्ञान निधि | 26=50 | 24=50 | 2=00 |
| 9(बी) | 3/93 | शिक्षा निधि | 53=00 | 49=00 | 4=00 |
| 9(बी) | 3/93 | पेयजल निधि | 26=50 | 24=50 | 2=00 |
| 9(बी) | 3/93 | स्वास्थ्य निधि | 10=60 | 9=60 | 1=00 |
| 9(ए) | 3/93 | प्रवेश शुल्क | 101=50 | 98=00 | 3=50 |
| (निधि | रजिस्टर) 4/96 | प्रवेश शुल्क | 18=00 | 17=00 | 1=00 |
| —do— | 3/97 | पुनःप्रवेश शुल्क स्वास्थ्य निधि | 101=40 | 100=00 | 0=60 |
| —do— | 3/95 | शिक्षा निधि | 3=75 | 5=00 | 3=75 |
| 9(ए) | 6/94 | अनुपस्थिति जुर्माना निधि | 4=10 | 4=00 | 0=10 |
| 6(ए) | 5/96 | —do— | 2=20 | 1=70 | 0=50 |
| 6(बी) | 3/95 | —do— | 3=90 | 3 =20 | 0=70 |

(135)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6(बी) | 5/95 | प्रवेश शुल्क | 2=50 | — | 2=50 |
| 9(ए) | 5/95 | अनुपस्थिति जुर्माना निधि | 3=30 | 3=20 | 0=10 |
| 9(ए) | 4/96 | —"— | 1=30 | 0=10 | 1=20 |
| 9(बी) | 4/96 | —"— | 1=60 | 1=20 | 0=50 |
| 8(बी) | 3/97 | —"— | 1=20 | — | 1=20 |
| 8(बी) | 3/97 | रेडक्रास फण्ड | 8=25 | 8=20 | 0=05 |
| | 3/98 | अमलगमेटिड फण्ड | 5=20 | 4=80 | 0=40 |

कुल योग:- 25=10 रुपये

(ग) विभिन्न कक्षाओं के दाखिल रजिस्टरों व प्रवेश रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि छात्रों के नाम कट जाने पर उन्हें पुनः प्रवेश देते समय उनसे पुनः प्रवेश शुल्क तथा विभिन्न निधियों की राशि जो उनसे प्राप्त की जानी अपेक्षित थी, वसूल नहीं की गई तथा सर्टीफिकेट जारी किए जाने पर उनसे सेट सर्टीफिकेट फीस भी प्राप्त नहीं की गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अतः कुल 96=20 रु. की वसूली करके सम्बन्धित निधियों व सरकारी कोष में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

| छात्र का नाम | कक्षा | प्रवेश सं. | माह | सेट सर्टीफिकेट की कम प्राप्त राशि | प्रवेश शुल्क पुनः प्रवेश शुल्क की कम प्राप्त राशि | विभिन्न निधियों की कम प्राप्त राशि | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विकास | 6(बी) | 5456 | 4/96 | 0=50 | — | — | 0=50 |
| कर्ण चन्द | 8(बी) | 5131 | 4/96 | 0=50 | — | — | 0=50 |
| धनेश | 8(ए) | 5214 | 4/96 | 0=50 | — | — | 0=50 |
| अमित | 8(ए) | 4916 | 4/96 | 0=50 | — | — | 0=50 |
| कुलदीप | 9(ए) | 1667 | 4/96 | — | 1=00 | — | 1=00 |
| अजीत थापा | 9(ए) | 1891 | 3/98 | — | — | 6=20 | 6=20 |
| कुलदीप कुमार | 9(ए) | 1560 | 4/96 | — | — | 18=60 पूर्व तीन माह का शुल्क | 18=60 |
| आफताब खान | 9 | 1865 | 3/98 | — | — | 12=40 पूर्व छः माह का शुल्क | 12=40 |
| — | 10(ए) | — | 3/98 | — | 3=50 | 12=40 जनवरी व फरवरी माह का शु | 12=40 |
| कुमारी मित्रा | 6 | 5250 | 3/97 | — | — | 8=40 | 8=40 |
| भूपेश कुमार | 6 | 5266 | 3/97 | | — | 8=40 | 8=40 |
| राकेश | 6 | 5339 | 3/98 | — | 2=50 | 4=20 | 6=70 |
| संदीप | 6 | 5336(ए) | 3/98 | — | 2=50 | 4=20 | 6=70 |
| कुलदीप वर्मा | 6 | 5537 | 3/98 | — | 2=50 | 4=20 | 6=70 |
| कृष्ण शर्मा | 6 | 5336(बी) | 3/98 | — | 2=50 | 4=20 | 6=70 |
| | | | | | | योग:- | 96=20 |

136

5. रेडक्रास निधि:-

(क) पाठशाला द्वारा निम्न वर्णित विवरणानुसार सामान का क्रय रेडक्रास निधि से किया गया परन्तु खरीदे गए सामान को रेडक्रास समिति से न तो स्वीकृति प्राप्त की गई तथा न ही स्टाक रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां की गई। खरीदे गए सामान को रेडक्रास समिति से अनुमोदित करवाया जाए तथा स्टाक रजिस्टर में भी आवश्यक प्रविष्टियां करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समक्ष दिखाई जाए।

| वाउचर संख्या | दिनांक | राशि | सामान का विवरण |
|---|---|---|---|
| 9,10 व 12 | 6/94 | 118=00 | 3 बोतल फिनैल व झाडू |
| 18(बी) | 15.4.95 | 30=00 | झाडू |
| 19 | 9.5.95 | 116=00 | 2 बाल्टी,2 मग |

योग:- 264=00 रुपये

(ख) रेडक्रास निधि से निम्नांकित सामान का क्रय किया गया। खरीदा गया सामान इस निधि पर वैध प्रभार नहीं था। अतः इस व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए अन्यथा वसूली उचित स्रोत से करके रेडक्रास निधि में जमा करवाया जाए।

| वाउचर संख्या | दिनांक | राशि | खरीदे गए सामान का विवरण। |
|---|---|---|---|
| 17 | 2.12.94 | 100=00<br>50=00 | 50 फट जी.आई. पाईप व उसकी फिटिंग |
| 18(ए) | 7.4.95 | 36=00 | ब्लैक बोर्ड पेंट |
| 22 | —— | 38=00 | 1 नं. पेंट ब्रश |

(ग) छात्र निधि से निम्न कार्यानुसार स्काउट व गर्ल गाईड की वर्दी बनवाने हेतु तथा अन्य सामान का क्रय किया गया:

| वाउचर सं0 | दिनांक | वस्तु का नाम | व्यय राशि |
|---|---|---|---|
| 20 | 9.5.95 | 60 मीटर टेरीकाट | 1950=00 |
| | | 17मी. गर्ल गाईड स्कार्फ | 83=40 |
| | | कपड़ा स्काउट के लिए (मात्रा का वर्णन नहीं) | 3136=00 |
| | | स्कार्फ का कपड़ा | 136=80 |
| 21 | 9.5.95 | 16 कैप विद बैज | 352=00 |
| | | 16 लेदर बैल्ट | 400=00 |
| | | 1दर्जन गार्ड बैल्ट | 128=00 |
| | | 12 जोगवा | 128=00 |
| | | 16 क्लीप वै स्ट | 16=00 |
| 23 | —— | 16 ड्रेसों कुल की सिलाई | 400=00 |
| | | | 6730=20 रुपये |

उपरोक्त व्यवहार निम्नलिखित टिप्पणियां की जाती हैं:-

(1) वि0 शिक्षा संहिता, 1985 में वर्णित नियमों के अनुसार वर्ष में उगाही गई राशि 10% अर्थात 135/-रुपये तक का व्यय ही स्काउट व गाईड की वर्दी हेतु व्यय किया जा सकता था। परन्तु उक्त प्रावधान को ध्यान में न रखते हुए सभी स्काउट व गाईड के लिए वर्दी बनाने हेतु व्यय कर दिया गया। फलस्वरूप अधिक 5730=20रुपये का व्यय वर्दियां बनाने हेतु कर दिया गया। अतः अनियमित व्यय के लिए उक्त राशि का नियमितीकरण सक्षम अधिकारी से करवाया जाए।

(2) उपरोक्त शीर्ष क्र0 5116=00 की राशि का कपड़ा वर्दियां बनाने हेतु व्यय किया गया। परन्तु कितनी वर्दियां तथा खरीदे गए कपड़े से तैयार हुई का कोई विवरण अभिलेख में नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त उपरोक्त खरीदे गए सामान की स्टाक रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां भी नहीं की गई थी। तैयार की गई वर्दियां तथा अन्य सामान की आवश्यक प्रविष्टियां स्टाक रजिस्टर

...8...

से इसके अनुपालना आगामी ऑडिट में दर्शायी जाए।

6. निर्धन निधि:-

(क) वाउचर संख्या 281 से 283 माह 5/95 के द्वारा एक कुंआ फ्लाइट शाफ्टर, एक ब्रू केप, एक थैला, केन सहित डोरी व फिल्टर तथा 25 मीटर डोरी के, कुल राशि 437=30 रुपये की व्यय की गई परन्तु खरीदे गए सामान की स्टाक प्रविष्टियाँ नहीं की गईं। खरीदे गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ स्टाक रजिस्टर में की जाएं व अनुपालना आगामी ऑडिट में दर्शाई जाए।

(ख) वाउचर सं0 234 माह 5/95 के द्वारा 32 बच्चों छात्रों के स्काउट व गाइड कैम्प का बस किराया हेतु 376=00रुपये का व्यय रोकड़ बही में किया गया दर्शाया गया। परन्तु ये भुगतान से सम्बन्धित वाउचर ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किये गए तथा न ही उक्त कैम्प हेतु कौन-कौन से छात्र-छात्राएं उपस्थित/सम्मिलित थे सूचि भी ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गई। ~~[illegible]~~ आवश्यक अपेक्षित दस्तावेज आगामी ऑडिट पर प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा पूरी राशि [illegible] से इसके निधि निधि में जमा करवाई जाए।

7. विकास निधि:-

(क) माह 12/94 में मै0 हिमालय ट्रेडर्स बाजार, शिमला-5 से बिल सं0 425 दिनांक शून्य के द्वारा कु0 2031=00रुपये राशि का निम्न वर्णित कैमिकल्स खरीद की गई जिसकी प्रविष्टियाँ स्टाक रजिस्टर के पृ0-262 से 270 पर की गई।

| क्र0 सं0 | मद का नाम | खरीदी गई मात्रा | व्यय राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | सोडियम हाईड्रोक्साईड | 500ग्राम | 55=00 |
| 2. | नाईट्रिक कोबाल्ट | 100 | 240=00 |
| 3. | कापर सल्फेट | 500ग्राम | 160=00 |
| 4. | [illegible] 5 | 25ग्रा | 65=00 |
| 5. | मिलियन रीजेन्ट | 125 एम.एल. | 60=00 |
| 6. | [illegible] | 1नं. | 55=00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | स्लाईड | 1पैकेट | 40=00 |
| 8. | यिस्ट | 500ग्राम | 400=00 |
| 9. | कैल्शियम क्लोराइड | 500ग्राम | 47=00 |
| 10. | बैनेडिक्ट सोल्यूशन | 500एम.एल. | 60=00 |
| 11. | फ्हेलिंग सोल्यूशन I | 500एम.एल. | 60=00 |
| 12. | फ्हेलिंग सोल्यूशन | 500 एम.एल. | 120=00 |
| 13. | मिथाइलीन ब्लू | 125 एम.एल. | 30=00 |
| 14. | ग्लीस रोल | 500 एम.एल. | 145=00 |
| 15. | अल्कोहल | 500एम.एल. | 155=00 |
| 16. | आयोडीन | 100ग्राम | 130=00 |
| 17. | इथेनाल | 2.5लीटर | 175=00 |
| | | | 2031=00 |

आलोच्य किये गये उपस्करों/सामान में से केवल क्रम सं0 9 को छोड़ कर शेष सभी सामान भण्डार में शेष था अर्थात 3½ वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी प्रयोग न किये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आलोच्य अवधि में सामान का क्रय बिना आवश्यकता के ही कर लिया गया था। यदि इस सामान का उपयोग ही नहीं किया जाना था तो इतनी अधिक मात्रा में केमिकल जिनकी उपयोगिता तिथि भी निर्धारित होती है, को क्रय किये जाने का क्या औचित्य था। अतः क्रय किये गये सामान का शीघ्र उपयोग किये जाने हेतु सम्बन्धित प्रधानाचार्य/उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(ख) माह 11/94 में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से रु0 136=00 रु0 की राशि जर्नल प्रैक्टिकल कॉपी के रूप में प्राप्त हुई दर्शाई गई परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह राशि किस मद की प्राप्ति से सम्बन्धित थी। अभिलेख से भी यह स्पष्ट नहीं

पता चला कि हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड से विभागीय राशि कॉपी ग्रेड फीस के रूप में ली जाती है और कॉपी ग्रेड फीस का पूर्ण लेखा तैयार किया जाए व बोर्ड से जो राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है उसका मामला आवश्यक वसूली हेतु उठाया जाए।

8. मुख्याध्यापिका द्वारा स्टाक रजिस्टरों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवर्ष नहीं किया जा रहा था जिसे प्रतिवर्ष किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. लघु आपत्ति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई।

10. निष्कर्ष:- लेखाओं के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

उप-निदेशक,
का0 प्र0 स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2

पृष्ठांकन संख्या: वित्त(एल0ए0)बी(1)1(1)12/73 दिनांक 1 2 0C 1999, शिमला-2

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्याध्यापिका राजकीय उच्च पाठशाला [illegible] शिमला जिला शिमला (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का अनुपालना उत्तर इस विभाग को शीघ्र ही भेजें।
2. निदेशक, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001
3. जिला शिक्षा अधिकारी शिमला जिला शिमला (हि0प्र0)
4. श्री सुरेश कुमार अनुभाग अधिकारी (लेखापरीक्षा) द्वारा.......

उप-निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
का0 प्र0 हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002